the Government of India will make provision in future for raising the level of ground water in drought-prone areas and villages? Will the Central Government and the Government of Karnataka consider this suggestion?

MR. CHAIRMAN : Question too general.

SHRI SANTOSH KUMAR SAHU : I am coming to the specific question. Will the Government take into consideration the question of raising the ground water level and make provision for a permanent drinking water supply from ground water so that such problems do not arise in future?

SHRI YOGENDRA MAKWANA : All aspects will be taken into consideration.

MR. CHAIRMAN : Mr. Yadav. If you put a general question, you will only get a general answer.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : सभापति जी, आज स्पुतनिक एज है और क्लाइमैटिक जोन की जानकारी भी सरकार को वैज्ञानिक अनुसंधानों के जरिये पहले ही हो जाती है। हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि अप्रेल-जून में वर्षा के पहले पेय जल की एक्यूट स्थिति होती है । इससे निपटने के लिए सरकार यह तो कहती है कि जल की आपूर्ति राज्य सरकार का काम है लेकिन उसकी मदद करना आपका काम है और यह भी काम है कि उसको पहले ड्राउट की जानकारी देना और सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए उस तरह की योजना बनाकर उसको कार्यान्वित करवाने में मदद करना जिससे कि लोगों को समय पर पानी मिल सके । तो क्या इस प्रकार की योजना आपने कर्नाटक में पहले दी थी या सिर्फ कुछ रुपया मदद के लिए आवंटित कर दिया ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने पहले ही कहा कि भारत सरकार राज्य सरकारों को इस मामले में मदद करती है और पांचवी पंचवर्षीय योजना से खास कार्यक्रम उसके लिए बनाये गये हैं जैसे मिनिमम नीड्स प्रोग्राम है और एक्सीलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम है, इनके माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट को मदद की जाती है लेकिन भारत सरकार और राज्य सरकार, मैं सब स्टेटों की बात कर रहा हूं इस मामले में

they are committed to it and they want to do it as early as possible; all the States.

Seventh Five-Year Plan allocation for the National Capital Region

*65. SHRI SHANTI TYAGI:†
PROF. C. LAKSHMANNA:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what is the allocation of funds for the National Capital Region Plan during the Seventh Five Year Plan period;

(b) whether it is a fact that this allocation is lower than that proposed by the National Capital Region Board; and

(c) if so, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI ABDUL GHAFOOR): (a) Rs. 35 crores has been earmarked in the Central Sector for Urban Development for the National Capital Region Schemes in the Seventh Plan

(b) and (c) Yes, Sir. This is on account of financial constraints.

श्री शान्ति त्यागी : माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी के विभाग ने और नेशनल कैपिटल रिजन बोर्ड ने प्लानिंग कमीशन से 867 करोड़ रुपया मांगा था जिसमें से 35 करोड़ रुपया मंजूर किया गया है । मेरा निवेदन यह है कि यह राशि बहुत कम है । हमारे उत्तर प्रदेश में मिशाल है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, यह उसी तरह की बात हो रही है । मैं मंत्री जी की जानकारी में यह भी लाना चाहता हूं कि राजस्थान, हरि-

†The Question was actually asked on the floor of the House by Shri Shanti Tyagi.

याणा, उत्तर प्रदेश की सरकारें राजधानी विकास के लिए जो योजनाएं इस साल में पूरा करना चाहती हैं 35 करोड़ रुपया उसके लिए भी कम है । मेरा प्रश्न यह है कि क्या माननीय मंत्री जी कटेगरीकली, गोल-मोल नहीं, यह बात बतायेंगे कि क्या अपनी धनराशि को पूरा करवाने के लिए वह मान्यवर प्रधान मंत्री जी से, प्लानिंग कमीशन से और वित्त मंत्री जी से बात कुछ आगे बढ़ा रहे हैं ? इसी के साथ यह भी कि राजधानी क्षेत्र का विकास होगा तो रेलों में, उद्योग में परिवहन में टैलीकम्युनिकेशन आदि में होगा । क्या इन मंत्रालयों से भी धनराशि के लिए बातचीत कर रहे हैं, कृपया इसका उत्तर दें ?

श्री अब्दुल गफूर : माननीय मेम्बर ने खुद यह कहा कि यहि धनराशि 35 करोड़ रुपया बहुत कम है । मेरी तरफ से भी यह जवाब हुआ कि फाइनांसियल कन्स्ट्रेन्ट्स की वजह से रुपया कम मिला है जो बिल्कुल ही नाकाफी है । यह जो पहली मीटिंग हुई जिसमें हरियाणा, राजस्थान और यू.पी. के सब चीफ मिनिस्टर्ज आये थे । उन्होंने अपने-अपने इलाके का प्लान बनाकर दिया और रुपये का भी हिसाब रखा । उसके बाद कैपिटल रिजन बोर्ड की भी मीटिंग हुई और वर्किंग ग्रुप ने यह तय किया कि मिनीमम 800 कितना करोड़ का है, उस रुपये के लिए प्लानिंग कमीशन को लिखा लेकिन प्लानिंग कमीशन ने सिर्फ 35 करोड़ रुपया दिया । दूसरा सवाल जो आपने किया है, इन सब चीजों को देखते हुए मैंने प्रधान मंत्री जी को भी और प्लानिंग कमीशन को भी खत लिखा है कि यह धनराशि बहुत ही कम है, नाकाफी है, इसलिए इसको और बढ़ाया जाए । अभी तक कोई फाइनल उस पर डिसीजन नहीं हुआ है । मेरी तरफ से भी बराबर कोशिश होती रहेगी कि इस धनराशि को बढ़ाया जाए, और जिस मकसद के लिए यह नेशनल कैपिटल रिजन प्लान बना है वह मकाद पूरा हो । वह उसी वक्त पूरा होगा जबकि जरूरत के मुताबिक धनिराशि मिलेगी । आखिर सप्लीमेंट्री जो हुई हैं जो डिपार्टमेंटस हैं जैसे इंडस्ट्री है, टैलीकम्युनिकेशन है, रेलवे डिपार्टमेंट है, रोड डिपार्टमेंट्स हैं तो जो पहले प्लानिंग नेशनल कैपिटल रिजन बोर्ड बनी तो हम लोगों ने खुद इस चीज को देखा कि क्यों नहीं इन मिनिस्ट्रीज को भी इसमें शामिल कर लिया जाए, क्योंकि उनका भी काम है रेलवे बनाना रोड बनाना, तो उन लोगों को भी शामिल करने के लिए लिख दिया गया है और नोटीफिकेशन जल्द ही आ जायेगा । वह भी बैठेंगे और उनसे कहा जायेगा कि यह काम फलां जगह से कीजिए, यह रोड नेशनल हाई वे कीजिए । यह सब काम मेरी तरफ से हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस जवाब से सन्तुष्ट होंगे ।

MR. CHAIRMAN Yes. Mr. Tyagi, put your second supplementary.

SHRI SHANTI TYAGI : No second supplementary, Sir.

MR. CHAIRMAN: Yes. Prof. Lakshmanna.

PROF. C. LAKSHMANNA: Mr. Chairman, Sir, the Minister has himself agreed that the amount of Rs. 35 crores is far low compared to what has been required, namely, Rs. 837 crores. If that is the case, I would like to ask the Minister what type of impact and consequences will arise out of this slashing of the amount which will have a great bearing on the urban growth of Delhi City.

SHRI ABDUL GHAFOOR: Sir, as regards the investment plan, it was realised right in the beginning that no plan for the development of the region to take away the pressure of population on Delhi can succeed unless, it is matched by adequate financial support to implement the programme. But I am sorry, it is only Rs. 35 crores which is there and you can not expect anything.

MR. CHAIRMAN: Yes, Mr. Vishwa Bandhu Gupta.

SHRI VISHWA BANDHU GUPTA : Sir, I am thankful to the honourable Minister for agreeing that it is a very little amount of money. But I would like to know from the honourable

Minister whether this money is sufficient at least to survey the land for the National Capital Region. And whether such a survey has been carried out and whether maps of this area have been produced for making an adequate plan for implementing it, I would like to know.

SHRI ABDUL GHAFOOR: Just for your satisfaction, I would say that we wanted to have a railway line and the money earmarked, according to our calculation, was Rs. 90 crores. Then, telecommunications for upgrading and providing telecommunication facilities to a reasonable standard comparable to Delhi in the identified priority towns, additional funds—Rs. 72 crores already available in the Telecommunications Ministry मक हमारी मांग थी कि 290 करोड़ दीजिये गा तो यह सब काम होगा। National highway Rs. 97 crores, Regional roads Rs. 120 crores यह सबका सर्वे हुआ, उसके बाद है Development of priority towns seed money for land acquisition and development programme Rs. 90 crores. ये सारी चीजें [illegible], ये सारी चीजें हैं।

SHRI VISHWA BANDHU GUPTA: My question is not answered.

MR. CHAIRMAN : Do you think that it is only your question that has not been answered? Many questions are not answered. Please sit diwn. (*Interruptions*). Chaturanan Mishra.

श्री चतुरानन मिश्र : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने यह प्लान के सम्बन्ध में बताया कि रेलवे के एक्सटेंशन के लिए इतना चाहिए। रोड बनाने के लिए इतना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि कैपिटल रीजन को डवलप करने के लिए इण्डस्ट्री को भी तो कुछ पेमेंट करना चाहिए, उनका भी कुछ अंशदान होना चाहिए, इसलिए नहीं कि इण्डस्ट्री बनाने में क्या लगा, वह एडीशनल पापुलेशन देखें, रेलवे एडीशनल पापुलेशन देखें, तो उनकी मण्टीनेन्स का खर्चा भी उनको देना चाहिए। इस लिहाज से क्या प्राइवेट सेक्टर पर, पब्लिक सेक्टर पर, रेलवे पर और दूसरे क्षेत्रों पर अतिरिक्त कर-भार लगाकर के आप धन-संचय करेंगे, जिससे कैपिटल को सुन्दर बनाया जा सके ? मैं इसलिए यह कह रहा हूं कि इन झोंपड़ियों को देखकर के राजधानी में इतना दुख होता है कि कैसे ये जीवन व्यतीत कर रहे हैं ? इसलिए क्या इस सम्बन्ध में सरकार सोचेगी कि इनसे अतिरिक्त धन जुटाया जाय, मेरे ख्याल में जैसे पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर भी है और दूसरे भी ऐसे क्षेत्र हैं ?

श्री अब्दुल गफूर : जितना दुख माननीय मेम्बर को है, उससे ज्यादा दुख हमको भी है, लेकिन क्या किया जाए। जितना रुपया हम लोगों के जरूरत के मुताबिक चाहिए, मांगा और मिला-35 करोड़। इस 35 करोड़ में से भी दो साल के अन्दर सेवेन्थ फाइव इयर प्लान में हमको इजाजत है कि केवल 8.25 करोड़ रुपया ही खर्च करना है . . (**व्यवधान**) जी हां, सेवेन्थ फाइव इयर प्लान का है यह 35 करोड़ रुपया। जहां तक आपने कहा कि--

Specific projects for promotion for employment generating, economic activities in the selected towns.

यह बहुत जरूरी चीज है और इसके लिए हमने भी 100 करोड़ रुपया मांगा है। लेकिन यह चीज आप जानते हैं कि जितना मिलेगा, उसी के अनुसार करेंगे। यह सब के ऊपर जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर भी जिम्मेदारी है, मैं उसको कर रहा हूं और सारे माननीय सदस्यों को भी बेचैनी है, तो आप लोग भी माननीय प्राइम-मिनिस्टर और फाइनेन्स मिनिस्टर से जोर लगाएं कि काफी रुपया दें और हम लोग करें।

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: One of the vital and imperative factors which led to the conception of the National Capital Region was the maintenance of ecological balance. I would like to know as to what is the amount that has been allocated for the commissioning of bio-gas plants in the NCR.

SHRI ABDUL GHAFOOR: Every aspect of the matter is being looked into, when the railway line will be constructed, when the roads will be constructed. Ecology, sceneries, everything, will be taken into consideration while looking into all these affairs.

श्री वीरेन्द्र शर्मा : श्रीमन मंत्री जी ने बताया है कि जितनी उनकी डिमांड थी उसमें से 4 प्रतिशत से कम उन्हें मिला है । क्या वह बताने की कृपा करेंगे कि इस चार प्रतिशत में कौन-कौन योजनाएं---मुख्य-मुख्य बताएं---वह चलाएंगे ?

SHRI ABDUL GHAFOOR: A Central Scheme was incorporated, in the Fifth Plan known as National Capital Region Scheme, to develop certain selected priority towns in the region. These schemes consists of general urban development. . .

MR. CHAIRMAN: He wants to know out of 35 crores what specific plans can be implemented.

श्री अब्दुल गफूर : वही बता रहे हैं । इसमें अलवर है, भिवानी है, गुड़गांव है, मेरठ है, हापुड़ है । ये सब चीजें इसमें हैं ।

Regularisation of Government accommodation in the name of Departments of the Retiring Government servants

*66. SHRI KALPNATH RAI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what is the number of applications pending since 1985 from the wards of retired Government employees for regularisation of Government accommodation allotted to the retired Government employees and out of them in how many cases, regularisation of Government accommodation has been made so far; and

(b) what steps are being taken to expedite the process of regularisation of Government accommodation to the Government employees referred to above?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI ABDUL GHAFOOR): (a) 503 applications for *ad hoc* allotment|regularisation of accommodation from the wards of retiring government servants occupying Govt. accommodation ware received and out of these 417 cases have been finalised. 86 cases are pending.

(b) Efforts are being made to finalise the pending cases;

श्री कल्पनाथ राय : क्या सरकार यह बतलाएगी कि सरकारी कर्मचारियों के निधन के बाद उनके वारिसों को मकान के अलाटमेंट के बारे में सरकार की बुनियादी नीति क्या है और किस आधार पर मकान का अलाटमेंट किया जाता है ? आज कितने मकान बोर्ड के कब्जे में हैं ?

श्री अब्दुल गफूर : यह तो लम्बा कायदा-कानून है । माननीय मेम्बर चाहेंगे तो मैं उनको भेज दूंगा ।

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय सभापति महोदय, मैंने पूछा कि सरकार की बुनियादी नीति क्या है, क्या क्राइटेरिया है ।

SHRI ABDUL GAFOOR: In the cases of those Government servants who retired prior to 7th November, 1979, the concession of making *ad hoc* allotment to eligible dependents, i.e. his or her son, unmarried daughter or wife or husband only, would be considered on fulfilment of the old conditions, that is, the dependent was residing continuously for a period of six months with the retired Government servant immediately prior to his retirement. This concession would also be extented on request to the eligible dependents, that is, son, unmarried daughter, wife or husband, of those officers who vacated Government accommodation after 1st May, 1978. The Government employees who are working in non-eligible offices are not eligible for allotment of accommodation. If the retired officers have been in occuption of residential accommodation allotted by a departmental pool other than general pool,